राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
Telex : 0141-2222403/2222469 Email ID : dlbrajasthan@gmail.com Website : www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक :एफ.56(क)()सीई / डीएलबी / IRGY(U)/2022–23 / 82688-905   दिनांक : 28/09/2022

आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम / परिषद् / पालिका,
समस्त राजस्थान।

विषयः–श्रमिकों का भुगतान एवं मस्टररोल ट्रेकिंग संबंधी प्रकिया के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में संपादित किये जाने वाले कार्यों के भुगतान एवं मस्टररोल ट्रेकिंग संबंधी प्रकिया के संबंध में निम्नानुसार प्रकिया अपनायी जानी है:–

क. सं.	श्रमिकों का भुगतान एवं मस्टररोल ट्रेकिंग संबंधी प्रकिया	संबंधित अधिकारी / कर्मचारी
1	मेट द्वारा पखवाड़ा समाप्ति के अगले दिन मस्टररोल को वापस जमा कराना। (पहले दिन)	शहरी रोजगार सहायक
2	श्रमिकों की सूची के अनुरूप श्रमिकों की उपस्थिति को पोर्टल पर अंकित उपस्थिति से मिलान करना, भिन्नता होने की दशा में आवश्यक संशोधन किया जाना। (दूसरे दिन)	एमआईएस मैनेजर / कम्प्यूटर ऑपरेटर
3	एमआईएस मैनेजर / कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा संबंधित कनिष्ठ तकनीकी सहायक / कनिष्ठ अभियंता को मस्टररोल मूल्यांकन / माप हेतु दिया जाना। (तीसरे दिन)	कनिष्ठ तकनीकी सहायक / कनिष्ठ अभियंता
4	कनिष्ठ तकनीकी सहायक / कनिष्ठ अभियंता के द्वारा कार्य की माप, माप पुस्तिका में कर वापस आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी कार्यालय कार्यालय मे जमा करवाना। (आठवें दिन)	आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी
5	आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी द्वारा लेखा शाखा को माप पुस्तिका एवं मस्टररोल जांच परीक्षण व भुगतान संबंधी कार्यवाही बाबत्। (नवें दिन)	लेखाधिकारी / सहायक लेखाधिकारी
6	लेखाधिकारी / सहायक लेखाधिकारी द्वारा प्राप्त माप पुस्तिका / मस्टररोल का परीक्षण कर भुगतान पारित किया जाकर श्रमिकों की भुगतान सूची / वेन्डर के बिलों का भुगतान ऑनलाईन पोर्टल पर तैयार किया जाना एवं कैशियर को दिया जाना। (चौदहवें दिन)	कैशियर
7	कैशियर द्वारा संबंधित श्रमिकों एवं वेन्डर को यूनिफाईड संचालन पोर्टल के माध्यम से भुगतान किया जाना। (पन्द्रहवें दिन)	कैशियर

उपरोक्तानुसार प्रकिया अपनायी जाकर 15 दिवस में भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

(ह्रदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांकः–एफ. 56()अभि. / सी.ई. / डीएलबी / IRGY/2022–23 / 82906-953   दिनांकः 28/09/2022
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक, समस्त राजस्थान।
4. वित्तीय सलाहकार, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
6. समस्त अधीक्षण अभियंता / अधिशाषी अभियंता / सहायक अभियंता / कनिष्ठ अभियंता, समस्त निगम / परिषद् / पालिका, राजस्थान।
7. प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. सुरक्षित पत्रावली।

(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियंता